न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक / 861 / रीडर / कले0 / 2020 कोण्डागांव दिनांक 4 / 05 / 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की संगरोध हिदायत है। कोरोना वायरस (COVID-19) रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रामक व्यक्ति को घर/संगरोध में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जावे। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने से सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। संक्रमण से बचाव हेतु जिला कोण्डागांव में स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रतिबंधित कर द0प्र0सं0 की धारा 144 घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार है।

यह आदेश कोण्डागांव जिले की सामान्य जनता को संबोधित किया जाता है, और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के अधीन एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व सूचना देते हुये नोटिस दिया जाना संभव नही हो पा रहा है।

मैं **नीलकंठ टीकाम, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव**, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144(2), आपत्ति निवारण अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न गतिविधियों को दिनांक 17/05/2020 तक के लिए प्रतिबंधित करते हुए निम्न आदेश प्रसारित करता हूं:–

1. जिला कोण्डागांव में स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जूलुस, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम के आयोजन, खेल से संबंधित क्षेत्र, सार्वजनिक बैठक स्थानों में आयोजन, क्लब हाउस, एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को प्रतिबंधित किया जाता है।
2. सभी शैक्षणिक संस्था, कोचिंग संस्था को बंद रखा जायेगा। ऑनलाईन एवं डिसटेंस लर्निंग के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधि करने की अनुमति होगी।
3. जिले में स्थित पर्यटन स्थलों को बंद रखा जायेगा।
4. निवासीय सुविधा देने वाले होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, तरणताल, वैवाहिक भवन एवं लॉन, ऑडिटोरियम, सामुदायिक भवन इत्यादि बंद रहेंगे।
5. सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल, धार्मिक आयोजन, सामाजिक राजकीय, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित की जाती है।
6. 05 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी लगाई जाती है।

निरन्तर.......................2

Scanned with CamScanner

7. इस अवधि में सभी व्यक्तियों की समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित की जाती है। केवल आरोग्य सेवा एवं आरोग्य सेवा से संबंधित सेवा, आपात सेवा को छोड़कर। इसका उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
8. निजी वाहन से जिले से बाहर, राज्य से बाहर आने–जाने हेतु बिना अनुमति प्रवास वर्जित है। केवल आपातकालीन चिकित्सा स्थिति या अन्य अत्यावश्यक स्थिति में ही आवागमन की अनुमति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय द्वारा दी जायेगी।
9. सार्वजनिक स्थानों पर घर से बाहर निकलते समय **मास्क पहनना अनिवार्य** होगा। सार्वजनिक स्थलों पर समस्त प्रकार के कार्यों में सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना होगा।
10. सार्वजनिक यातायात के सभी संसाधन (बस, जीप, ऑटो, सायकल रिक्शा, बस स्टैण्ड आदि) से **यातायात प्रतिबंधित** है।
11. सार्वजनिक स्थानों पर **थूकना प्रतिबंधित** है। सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर जुर्माना किया जाएगा।
12. सार्वजनिक स्थानों में शराब, पान, गुटखा का सेवन वर्जित होगा तथा जिले में **पान, गुटखा, तंबाखू एवं गुड़ाखू का विक्रय वर्जित** होगा।
13. बैंकों में 10 से अधिक व्यक्ति जमा न हो।
14. मास्क की मुनाफाखोरी **कालाबाजारी को प्रतिबंधित** किया जाता है।
15. निगरानी जांच निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और ईलाज से संबंधित है और ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये हुए अन्य व्यक्ति पर लागू हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 के दण्ड के लिए भागी होगा।
16. किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो व भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लघंन नहीं किया जावेगा।
17. जिले में अंर्तदेशीय/अंर्तराज्यीय/अंर्तजिला प्रवास कर आने वाले व्यक्ति जिन्हें Facility/Home Quarantine में रखा गया है। उन्हें Quarantine से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा तथा इसका उल्लंघन घरा 188 की कार्यवाही की श्रेणी में आएगा।

निरन्तर........................3

Scanned with CamScanner

भारत सरकार द्वारा कोण्डागांव जिले को कोरोना संक्रमित क्षेत्रों के ग्रीन जोन में सम्मिलित किये जाने के कारण निम्न गतिविधियों के संचालन की अनुमति सशर्त दी जाती है :-

1. **स्वास्थ्य**

- सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनीक, दवा दुकानें, फार्मेसी, लेबोरेटरी, पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा से संबंधित गतिविधि, कृत्रिम गर्भाधान, इनसे संबंधित आवश्यक सप्लाई चेन, संबंधित निर्माण, ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल से संबंधित निर्माण कार्य, एंबुलेंस तथा स्वास्थ्यकर्मियों का परिवहन एवं संस्थाओं का संचालन किया जा सकेगा। समयावधि की पाबंदी नहीं होगी।

2. **कृषि एवं संबंधित गतिविधियां**

- कृषकों द्वारा कृषि कार्य, वनोपज के क्रय-विक्रय से संबंधित गतिविधियों, मंडी एवं उपमंडी तथा मंडी से लायसेंस प्राप्त क्रेता-विक्रेता, कृषि समितियां, कृषि से संबंधित मशीनरी एवं कलपुर्जे विक्रय की स्थापनाएं, खाद, बीज, एवं कीटनाशक से संबंधित दुकान के संचालन की अनुमति होगी।
- हैचरी, एक्वेरियम से संबंधित दुकाने, मत्स्य उत्पादन से संबंधित कोल्ड चेन एवं विक्रय, पोल्ट्री से संबंधित खाद्य का विक्रय की अनुमति होगी।
- काजू एवं अनाजों की प्रसंस्करण प्रक्रिया, राईस मिल, डेयरी, दूध, संग्रहण, प्रोसेसिंग, गौशाला, कांजी हाउस, पशु आहार का परिवहन एवं संग्रहण की अनुमति होगी।
- सब्जी, फल, किराना, दुध दुकान, अन्य सभी दुकान प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।

3. **वित्तीय संस्थान**

- सभी बैंक, ए.टी.एम., बीमा कंपनी, च्वाईस सेंटर से संबंधित सुविधा केन्द्र, बैंक सखी, डाकघर के संचालन, चार्टर एकाउटेंट कार्यालय/वित्तीय संस्थान के संचालन की अनुमति होगी।

4. **गुड्स एवं कार्गो**

- सभी प्रकार के सामानों के परिवहन मालवाहक वाहनों के माध्यम से परिवहन की अनुमति होगी। इसके लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु इनमें किसी भी प्रकार से मानव परिवहन वर्जित होगा।
- सभी प्रकार के ई-कॉमर्स कुरियर सर्विसेस, डोर टू डोर डिलीवरी की अनुमति होगी।
- अंतर्राज्यीय मालवाहक परिवहन हेतु लोडिंग-अनलोडिंग के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।

निरन्तर.......................4

Scanned with CamScanner

5. **निर्माण कार्य**

- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी।
- मनरेगा के संबंधित कार्य जारी रखे जायेंगे। प्राथमिकता से नरवा से संबंधित कार्य किये जायेंगे। सिंचाई एवं जल संवर्धन से कार्यो को किया जायेगा। सड़क निर्माण, सिंचाई योजना, ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के निर्माण कार्य (एन.एम.डी.सी. रेल्वे) शामिल है।
- निर्माण कार्य के लिए क्रशर, रेत खदान के संचालन की अनुमति होगी। सीमेंट एवं हार्डवेयर, फर्नीचर, पाईप लाईन दुकान आदि प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खोला जा सकेगा।
- शहरी क्षेत्र जहां लेबर इन हाउस है, वहां निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
- ग्रामीण क्षेत्र में ईंट भट्टा के संचालन की अनुमति होगी।

6. **अन्य आवश्यक**

- पुलिस, वन, नगर सेना, अग्निशमन सेवा, आपदा, जेल, नगर निगम के कार्यालयों के संचालन पर प्रतिबंध नहीं होगा।
- **दूरसंचार, पेट्रोल पंप, पानी, बिजली, आपात सेवा तथा मीडिया संबंधी सेवा के संचालन की समय–सीमा नहीं होगी।**
- मदिरा दुकानों का संचालन **प्रातः 08.00 बजे से संध्या 04.00 बजे** तक की समयावधि में होगा।
- भवन निर्माण से संबंधित कारपेंटर, प्लमबींग, पेटिंग, ए.सी./कूलर मरम्मत, टायर पंचर दुकान, गैरेज, गैस चूल्हा रिपेयरिंग से संबंधित स्थापनायें को प्रारंभ किया जा सकेगा।
- सभी औद्योगिक स्थापनाओं को निर्धारित समयावधि में संचालन की अनुमति होगी।
- जिले के भीतर आवश्यक कार्य हेतु निजी वाहन से आवागमन की अनुमति होगी।
- फर्नीचर निर्माण, कम्प्यूटर, कपड़ा, ज्वेलरी, सभी स्टेशनरी, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।
- जिले में हैण्डीक्राफ्ट दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- जिले में फोटो स्टुडियो एक समय में एक व्यक्ति के प्रवेश व दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- जिले में टेलरिंग दुकान एक समय में एक ही व्यक्ति के प्रवेश व दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी।

निरन्तर.........................5

Scanned with CamScanner

- **सभी सेलून, ब्यूटी पार्लर के संचालन की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन होगी :–**
  1. दुकान के बाहर ग्राहक को हाथ धोने एवं चेहरा धोने के लिए पानी, साबुन की व्यवस्था करें। हाथ एवं चेहरा धोने पर दुकान में प्रवेश दें।
  2. चेहरा धोने के बाद सुखाने के लिए टिशु पेपर देवें या ग्राहक के द्वारा स्वयं के रूमाल का प्रयोग करें। टिशु पेपर का उपयोग पश्चात् नष्ट करने हेतु डस्टबीन की सुविधा सुनिश्चित करें।
  3. छोटी दुकान में एक समय में एक ही व्यक्ति एवं बड़े दुकान हो तो दो व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगें।
  4. प्रत्येक दुकान संचालनकर्ता सुनिश्चित करें कि कैंची, कंघी, उस्तरा, ब्रश जैसी सामग्री जो बार–बार ईस्तमाल होती है, उनकी सेट की संख्या बढ़ा दी जाए और इन्हें सेट के रूप में ही ईस्तमाल करें, सेट को एक–दूसरे में मिक्स ना करें।
  5. किसी ग्राहक के लिए 1 सेट का उपयोग करें तथा उपयोग की गई सामग्री को तत्काल नल के नीचे साबुन के पानी से धोयें तथा 15 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखें। अतः दुकानदार पानी गरम करने की सुविधा सुनिश्चित करें, जिसमें औजार साफ किये जायें या 15 मिनट तक डेटॉल के पानी में रखें।
  6. ग्राहक दुकान में प्रवेश एवं बाहर जाते समय हांथ मुह आवश्यक रूप से धोयें।
  7. सेलून कर्मचारी मास्क, हैंडग्ल्वस का उपयोग कर कार्य सुनिश्चित करें। एक व्यक्ति से संबंधित कार्य पूर्ण होने के तत्काल बाद साबुन से हाथ धोयें। बार–बार चेहरे को हाथ न लगाएं।
  8. सर्दी, खांसी, बुखार से ग्रस्त कर्मचारी को कार्य से छुट्टी दें एवं चिकित्सीय परामर्श देने के लिए सूचित करें।
  9. अल्ट्रावायलेट लाईट की मशीन यथासंभव रखी जा सकती है, जो कि दुकान बंद करते समय चालू करके रख सकते है, इससे निर्जुनीकरण करना आसान होगा।
  10. शरीर को ढकने के लिए कपड़ा/टॉवेल के पर्याप्त सेट रखें ताकि प्रति व्यक्ति एक सेट का ही उपयोग किया जा सके। इसमें ग्राहक अपने लिए टॉवेल या कपड़ा ले आता है तो बेहतर होगा, जिसमें Cross Infection की संभावना कम होगी।

उक्त स्थापनायें को निम्न शर्तों के अधीन संचालित की जा सकेगी :–

- जिले में सभी प्रकार के दुकानों, कार्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि के संचालन का समय प्रातः 08.00 बजे से 08.00 बजे तक होगा। विशेष रूप से प्रतिबंधित दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानों का संचालन किया जा सकेगा।

निरन्तर.....................6

Scanned with CamScanner

- दुग्ध वितरण एवं समाचार पत्र वितरण हेतु प्रातः 07.00 बजे से 09.00 बजे तक अतिरिक्त छूट होगी।
- स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सेवा एवं दवा दुकानों के संचालन में समय का प्रतिबंध नहीं होगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होटल ढाबे जो टेक अवे सुविधा के संचालित की जा रही है, वह रात्रि 10.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।
- **50 प्रतिशत कर्मचारी** क्षमता के साथ दुकानों का संचालन किया जावे। व्यवसायिक संस्था, निजी कार्यालय 33 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करें।
- शत प्रतिशत क्रेता–विक्रेता एवं दुकान के कर्मचारियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। दुकान में सेनेटाईजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए सामाजिक दूरी तय करने हेतु 02–02 मीटर के अंतर पर मार्किंग किया जाये। मार्किंग के बगैर दुकानों का संचालन न किया जाये। संबंधित दुकानदार द्वारा मार्किंग किया जाकर, सामाजिक दूरी से क्रय–विक्रय की कार्यवाही की जाये।
- मास्क का उपयोग नहीं करना, सामाजिक दूरियों का पालन नहीं करना, हाथ धुलाई की व्यवस्था न होना, निर्धारित मानक से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना इस आदेश का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। **प्रथम उल्लंघन पर अर्थदण्ड 500.00 रू. द्वितीय उल्लंघन पर 2000.00 रू.** अधिरोपित होगा। इसके पश्चात् भी उल्लंघन पाया जाता है, तो दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जायेगी। अतः सुनिश्चित करें कि शर्तों के अधीन ही दुकान का संचालन किया जाये।
- सभी स्थापनाओं के संचालनकर्ता को कर्मचारियों हेतु मास्क की व्यवस्था करनी होगी। सार्वजनिक स्थल पर सभी कार्यवाही को 02 मीटर से अधिक की सामाजिक दूरी रखकर अंजाम दिया जाना होगा।
- स्वास्थ्य सेवाओं के प्रतिष्ठानों को छोड़कर प्रतिष्ठान संचालन के साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था पूर्ववत् होगा। सभी स्थापनाएं निर्धारित दिवस पर साप्ताहिक अवकाश जरूर दें।
- कार्य स्थल/दुकानों पर हाथ धुलाई, सेनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
- सार्वजनिक स्थलों/कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

(नीलकंठ टीकाम)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक / 861/ रीडर / कले0 / 2020 कोण्डागांव दिनांक 7 / 05 / 2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, छ.ग. शासन मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर, की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर, की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, संभाग बस्तर (जगदलपुर) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव।
8. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत जिला कोण्डागांव।
9. सर्व तहसीलदार जिला कोण्डागांव।
10. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला कोण्डागांव।
11. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला कोण्डागांव।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

Scanned with CamScanner